

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बस्ती, आजमगढ़, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, गोण्डा, मुरादाबाद, बहराइच, लखीमपुर
खीरी, गोरखपुर, चित्रकूट, एवं लखनऊ

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 25 अक्टूबर, 2021

विषय:-जनपदों में तैनात आपदा विशेषज्ञों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त जनपदों के जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरणों में तैनात आपदा विशेषज्ञों के 05 माह (अक्टूबर 2021 से फरवरी, 2021 तक) का मानदेय दिये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत रु0 32,50,000/- (रुपये बत्तीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि, निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नीचे दी गयी तालिका में उल्लिखित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	धनराशि (लाख रु0 में)
1	बस्ती	2.50
2	आजमगढ़	2.50
3	कुशीनगर	2.50
4	गाजीपुर	2.50
5	वाराणसी	2.50
6	बलिया	2.50
7	गोण्डा	2.50
8	मुरादाबाद	2.50
9	बहराइच	2.50
10	लखीमपुर खीरी	2.50
11	गोरखपुर	2.50
12	चित्रकूट	2.50
13	लखनऊ	2.50
	योग	32.50
(रुपये बत्तीस लाख पचास हजार मात्र)		

(1) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

(2) जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के नियम-209 तथा चैप्टर-1 के संलग्नक-ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में उल्लिखित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(4) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-359-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

2- उक्त स्वीकृति रु0 32,50,000/- (रुपये बत्तीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या-1720 (1)/एक-10-2021-33(79)/15 टीसी, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित, मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-28/10/2021

प्रेषण संख्या:- 1720
आवंटन आदेश संख्या:- 124-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
07 - जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 250000 670000	250000 670000
2	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 250000 714000	250000 714000
3	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 250000 670000	250000 670000
4	बलिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 250000 670000	250000 670000
5	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 250000 670000	250000 670000
6	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 250000 670000	250000 670000
7	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 250000 670000	250000 670000
8	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 250000 630000	250000 630000
9	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 250000 670000	250000 670000
10	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 250000 670000	250000 670000
11	बहराइच-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 250000 670000	250000 670000
12	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 250000 964666	250000 964666
13	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 250000 670000	250000 670000
	योग	वर्तमान प्रगामी 3250000 9008666	3250000 9008666

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बत्तीस लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नब्बे लाख आठ हजार छः सौ छियासठ

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।